न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-70/2017/भीलवाड़ा (2017/00080)

1. अहमद खां पिता नत्थे खां जाति मुसलमान निवासी खुमानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. गिरधारी पुत्र नगजी तेली निवासी खुमानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडेंट

2. रामलाल पुत्र देवा जाति गुर्जर निवासी खुमानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाडा

तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 30.08.2010 अंतर्गत प्रकरण संख्या 5/2010.

उपस्थितः-

1. श्री मदन लाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री बी0एस0शेखावत, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 4
3. रेस्पो0 सं0 1 व 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक :- 27.02.2019

अपीलांट ने यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2010 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के न्यायालय में दिनांक 29.01.2010 को धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 11.06.1992 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा खुमानपुरा पटवार क्षेत्र गोरख्या में अवस्थित आराजी संख्या 27 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा बंजड एवं 3 बीघा 4 बिस्वा गैर

मुमकिन आबादी कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी खसरा संख्या 28 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा सेट्लमेंट के पूर्व आराजी संख्या 29 थे। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2009 से सम्वत 2012 में समस्त जागीरदारान के मुखिया एकलिग, जगु, गोकल तेलियान, नत्थे खां मुसलमान साकिन देह के नाम दर्ज थे, जो सेट्लमेंट के पश्चात भी सम्वत 2034 से 2043 तक के राजस्व रेकार्ड में समस्त जागीरदारान के नाम बदस्तूर चली आ रही थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपील में आगे कथन किया कि हाल आराजी संख्या 27 व 28 कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा साबिक आराजी खसरा संख्या 29 का उपयोग-उपभोग ग्राम वासियान खुमानपुरा द्वारा सार्वजनिक रूप से करने हेतु आरक्षित थी तथा उक्त आराजीयात भूमि का सार्वजनिक रूप से जनहित में व ग्रामवासियों के द्वारा निरंतर सही रूप से होता रहा व उक्त भूमि का लगान ग्रामवासियों द्वारा एकत्रित कर सरकार को समय पर अदा किया जाता रहा है। ग्राम खुमानपुरा के मौतबीर व्यक्ति होने से तेली व मुसलमान समाज का प्रतिनिधि करने वाले व्यक्तियों एकलिग, जगु, गोकल तेलियान एवं नत्थे खां मुसलमान का नाम ग्रामवासियों की सहमति से राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया था जो सम्वत 2009 से 2013 तक बदस्तूर चला आ रहा था परन्तु इन व्यक्तियों की वल्दियत राजस्व रेकार्ड में इसलिए दर्ज नहीं की गई क्योंकि उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग-उपभोग की थी एवं भविष्य में भी उक्त भूमि का उपयोग-उपभोग सार्वजनिक रूप से होता रहे तथा उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग-उपभोग की होने से इनमें से किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सके एवं इनके निधन के बाद भी इनके वारिसान भी उक्त भूमि पर अपना हक उत्पन्न नहीं कर सके। अतः प्रश्नगत आराजीयात में गांव के रास्ते, सार्वजनिक भवन, बाडे, आबादी के मकानात आदि कई वर्षो से पूर्व में बने हुए है। नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 11.06.1999 में लिप्त आराजीयात समस्त जागीरदान मुख्या के नाम बिना वल्दियत के दर्ज होने के बावजूद श्री नत्थे खां का निधन हो जाने के पश्चात उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में नत्थे खां नाम विलोपित होना चाहिये था परन्तु नत्थे खां के पुत्रों ने तत्कालीन पटवारी से मिलकर सांठ-गांठ कर स्वये के नाम दर्ज कर लिया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अपील में यह भी कथन किया गया कि आराजी संख्या 27 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि किस्म बंजड थी जिसमें से 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि आबादी में संपरिर्वतन होने से जरिये इन्तकाल संख्या 111, 112, 113, 114, 116, 117 व 118 के सम्वत 2048 से 2051 के राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में गैरमुमकिन आबादी दर्ज की गई, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अपीलांट वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 ने नामान्तरकरण की जानकारी से अपील मियाद अधिनियम धारा 05 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 11.06.1999 को निरस्त करने की प्रार्थना की। रेस्पोडेंट संख्या 3 वर्तमान अपीलांट ने अपील में उठाये गये उजरात का खण्डन किया व अपील मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने के कारण अपील को निरस्त

किये जाने की प्रार्थना की। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा ने अवैधानिक निर्णय दिनांक 30.08.2010 पारित कर वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 की अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 11.06.1992 को निरस्त कर दिया एवं विवादित आराजी भू-भाग के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, माण्डल को विधि के परिप्रेक्ष्य में ग्राम के मुखियाओं को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित रखने के संबंध में अलग से आदेश पारित कर राजस्व अभिलेख में तदनुसार इन्द्राज कराने की सुनिश्चतता करने के आदेश पारित कर दिये जिससे व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस को नोटिस तामील प्राप्त होने के बावजूद रेस्पो0 सं0 1 व 2 अनुपस्थित रहे तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा का निर्णय दिनांक 30.08.2010 न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 पार्टी इन प्रोसिडिंग नहीं होने से उसे नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 11.06.1992 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था एवं ना ही रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. के तहत पेश कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति न्यायालय से प्राप्त की। ऐसी स्थिति में तृतीय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं थी। इस कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर पारित किया गया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मूलतः क्षेत्राधिकार के परे होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायायलय ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 11.06.1992 के विरूद्ध लगभग 17 वर्षो बाद दिनांक 29.01.2010 को अपील पेश की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो कथन अंकित किये गये थे वे मिथ्या व कयासी थे एव ंना ही उन्होनें प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सिद्ध किया था। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के लिए दिन प्रतिदिन के विलम्ब को देखते हुए निर्णय पारित करना चाहिये था। प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्पष्ट व कारण रहित नॉन स्पीकिंग आदेश से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट अभिभाषक ने बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपील के पृष्ठ संख्या 7 के अंतिम पेरा में नोट अंकित किया था कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है, इस बाबत अन्य किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है

किन्तु विवादग्रस्त आराजी बाबत एक राजस्व वाद बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के यहां विचाराधीन था। नियमित वाद जब रेस्पोडेंट संख्या 1 व अन्य द्वारा दिनांक 25.11.2009 को प्रस्तुत कर दिया गया व वाद में कॉज ऑफ एक्शन दिनांक 01.11.2009 को उत्पन्न होना बताया गया जिससे यह प्रमाणित होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 को नामान्तरकरण आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही थी। नियमित वाद विवादग्रस्त नामान्तरकरण में लिप्त आराजीयात बाबत दिनांक 25.11.2009 को प्रस्तुत किया जा चुका था। नामान्तरकरण की अपील एक फिक्सल कार्यवाही है। नियमित वाद के जैरकार होने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 का नामान्तरकरण संख्या 99 में लिप्त आराजी से कोई संबंध नहीं है। वर्तमान अपीलांट नामान्तरकरण में लिप्त आराजी का संयुक्त खातेदार काश्तकार है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 के कथनों को बिना साक्ष्य सिद्ध किये ही स्वीकार कर विवादित आराजी भू-भाग गत बन्दोबस्त व नवीन बन्दोबस्त के दौरान समस्त जागीरदारान मुख्यिा के रूप में अभिलिखित स्वीकार कर भूमि को सार्वजनिक भूमि मानकर भारी भूल की है। अतः निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा का निर्णय दिनांक 30.08.2010 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 99 निर्णय दिनांक 11. 06.1992 को यथावत रखा जावें। xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय एवं पत्रावली का अद्योपान व गहन अवलोकन किया तथा अपीलांट अभिभाषक की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम खुमानपुरा तहसील माण्डल हाल करेडा जिला भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 11.06.1992 को अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा दिनांक 30.08.2010 को अपास्त किया गया था से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट ने ग्राम खुमानपुरा हाल तहसील करेडा की आराजी संख्या 27 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा किस्म बंजड एवं 3 बीघा 4 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी कुल 13 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 28 रकबा 2 बिस्वा बंजड भूमि में अपीलांट के पिता नत्थे खां की विरासत के नामान्तरकरण को अपास्त किया गया है। उक्त अपील में विवादित भूमि सम्वत 2009 से 2012 की जमाबन्दी ग्राम खुमानपुरा में इस प्रकार दर्ज है ‘‘समस्त जमीदारान के मुखिया एकलिंग, जगु, गोकल तेली व नत्थे खां मुसलमान साकिन देह‘‘ और आराजी संख्या 29/1ख रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा किस्म छा0क0 दर्ज थी। उक्त भूमि नये भू प्रबन्ध में ग्राम खुमानपुरा की आराजी संख्या 27 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 28 रकबा 2 बिस्वा बनाये जाकर इस प्रकार अंकन किया गया ‘‘समस्त जागीरदारान देह एकलिंग, जगु, गोकल तेलियान नत्थे खां मुसलमान साकिन देह‘‘ दर्ज किया गया।

5- उपरोक्त अपील में विवादित भूमि भू–प्रबन्ध से पूर्व 10 बीघा 2 बिस्वा भूमि ही थी, जिसके नये भू–प्रबन्ध में जरीबानुसार 8 बीघा 12 बिस्वा भूमि ही बनती है जबकि नये भू प्रबन्ध में उक्त खाते का रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा दर्ज कर दिया गया जो 13 बीघा 17 बिस्वा - 8 बीघा 12 बिस्वा = 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज की गई है।

6- पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि मेवाड स्टेट की होकर मेवाड माल कानून 1947 से प्रभावित है एवं उक्त कानून की धारा 107 के अनुसार विरासत के अधिकार राज्य सरकार को है। ऐसी स्थिति में उक्त कानून के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उक्त विवेचन के क्रम में विवादित नामान्तकरण संख्या 99 निर्णय दिनांक 11.06.92 एवं अति0 जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 5/2010 निर्णय दिनांक 30.08.2010 में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

7- न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भीलवाडा को प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व मेवाड माल कानून 1947 के प्रावधानों के तहत उक्त विविादित भूमि के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर मेवाड माल कानून 1947 एवं वर्तमान में प्रचलित अन्य नियमों के तहत विस्तृत जांच किये जाने योग्य पाया जाता है :-

1- संवत 2009 से 2012 एवं नये भू–प्रबन्ध पश्चात निर्मित जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियों एवं प्रश्नगत भूमि संबंधी उपलब्ध अन्य आधार अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में क्या विवादित भूमि पर विरासत, विक्रय एवं भूमि रूपान्तरण नियम लागू होते है।

2- विवादित भूमि भू–प्रबन्ध से पूर्व 10 बीघा 2 बिस्वा ही थी जो नये भू प्रबन्ध में 8 बीघा 12 बिस्वा ही बनती है। जबकि नये भू प्रबन्ध में भूमि 13 बीघा 17 बिस्वा दर्ज कर दिये जाने के क्या कारण है।

3- विवादित भूमि गत भू प्रबन्ध में ''समस्त जमीदारान'' के नाम दर्ज थी, जिसे नये भू–प्रबन्ध में समस्त जागीरदारान अंकित किया, जिसके क्या आधार रहे है।

4- विवादित भूमि गत भू–प्रबनध में आराजी संख्या 29/1ख रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा ही थी, जिसे नये भू–प्रबन्ध में आराजी संख्या 27 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 28 रकबा 2 बीस्वा कुल 13 बीघा 17 बिस्वा भूमि दर्ज की गई, जो किन आधारों पर हुई है, जांच का विषय है।

5- मेवाड माल कानून 1947 के प्रावधानों में सार्वजनिक भूमि बाबत बेचान के प्रावधान नहीं होने के बावजूद उक्त विवादित भूमि को किन आधारों पर विक्रय की गई एवं विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 233 दिनांक 22.12.2007 निर्णित किया गया।

6- आराजी संख्या 27 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि किस्म बंजड थी जिसमें से 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि आबादी में संपरिर्वतन होने से जरिये इन्तकाल संख्या 111, 112, 113, 114, 116, 117 व 118 के सम्वत 2048 से 2051 के राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में गैरमुमकिन

आबादी दर्ज की गई, जो मेवाड माल कानून 1947 के प्रावधानों के विपरीत है। अतः यह बिन्दु भी जांच योग्य है।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

8- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 70/2017 (2017/00080) बउनवानी अहमद खां बनाम गिरधारी व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा अपील संख्या 5/2010 बउनवान गिरधारी बनाम मंसूर अली व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2010 को यथावत रखा जाता है।

9- विचाराधीन प्रकरण में जैसा कि पैरा संख्या 7 में विवेचना की गई है, विवादित भूमि के संबंध में मेवाड माल कानून 1947 के प्रावधानों के अन्तर्गत जांच एवं तदनुसार अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है। अतः इस संबंध में जिला कलक्टर, भीलवाडा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश है कि प्रकरण का परीक्षण कर राजस्थान राजस्व भू अधिनियम की धारा 82/अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

10- आदेश आज दिनांक 27.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.02.28 18:49:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: